

मूल वाद में डिकी  
( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर

स्थान

सवाई माधोपुर

1. अनूप श्रीवास्तव पुत्र  
चौदबिहारी श्रीवास्तव  
निवासी 701/702  
गोल्डन डीम्स  
सोसायटी जगतपुरा  
जयपुर

बनाम

1. गडूल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर निवासी  
धूमणकला तहसील व जिला सवाई माधोपुर  
2. लेण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

नम्बर मुकदमा

95

सन्

2025

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

वादी की ओर से श्री राघेश्याम वैष्णव एड० और प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय

की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 30.05.2025 को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) के समक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और प्राथमिक डिकी दी जाती है कि राजस्व ग्राम धूमण कला तहसील सवाई माधोपुर के खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 हैक्ट सहखातेदारी की भूमि की जाँच कर राजस्व रिकार्ड में हिस्से अनुसार एवं उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि में अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि अपने अपने हिस्से के अनुसार पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया जाकर एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव ( तकास्मा रिक्म) तैयार की जावे तथा उक्त तकास्मा रिक्म में वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता अंकन किया जावे। X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 13.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगकर दी गई।



Yr  
उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	02.00	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
3 प्रदेशके लिए स्टाम्प रु० पर	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
7 आदेशिका की तामील	03	00		02.00	
	जोड	07.00	जोड		

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

०७/०१/२६

पत्रावली पेश हुयी। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.11.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश किया गया है कि राजस्व ग्राम धमूण कलॉ तहसील सवाई माधोपुर के खसरा नम्बर 32 रकबा 0.79 हैक0 सहखातेदारी की भूमि पर राजस्व रिकार्ड पर हिस्से अनुसार एवं उक्त सम्पूर्ण विवादित भूमि में अच्छी मे से अच्छी तथा बुरी मे से बुरी भूमि अपने अपने हिस्से के अनुसार पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया जाकर एवं राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव (तकास्मा स्किम) तैयार की जावे तथा उक्त तकास्मा स्किम में वादी एवं प्रतिवादीगण के भूमि पर पहुचने हेतु रास्ता अंकन किया जावें। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/10437 दिनांक 10.12.2025 से तकास्मा स्किम भिजवायी गयी जिसके अनुसार :-

1. अनूप श्री वास्तव पुत्र चांद बिहारी श्री वास्तव जाति कायस्थ जे 701/702 गोल्डन डोम्स सोसायटी जगतपुरा जयपुर खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/1	0.52 हैक0	बा.2
कुल किता 1	0.52 हैक0	

2. गडूल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर सा०देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/2	0.27 हैक0	बा.2
कुल किता 1	0.27 हैक0	

प्रकरण में वकील वादी ने तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा स्कीम के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण में वकील वादी द्वारा तकास्मा स्कीम में कोई आपत्ती नहीं की है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त तकास्मा के अनुसार तकास्मा किया जाना स्वीकार किया है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम धमूण कलॉ के खातेदार कमशः:-

1. अनूप श्री वास्तव पुत्र चांद बिहारी श्री वास्तव जाति कायस्थ जे 701/702 गोल्डन डोम्स सोसायटी जगतपुरा जयपुर खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/1	0.52 हैक0	बा.2
कुल किता 1	0.52 हैक0	

2. गडूल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर सा०देह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/2	0.27 हैक0	बा.2
कुल किता 1	0.27 हैक0	

का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावें। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ़तर दाखिला हों। निर्णय आज दिनांक ०७/०१/२०२६ को सरे इजलास सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

मूल वाद में डिकी  
( आदेश 20 के नियम 6 और 7 )

नाम न्यायालय उप जिला कलेक्टर स्थान सवाई माधोपुर

1. अनूप श्री वास्तव पुत्र चांद बिहारी  
श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी  
जे 701/702 गोल्डन डोम्स  
सोसायटी जगतपुरा जयपुर  
खातेदार

**बनाम**

1. गडूल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर  
निवासी धमूणकली तहसील व जिला  
सवाई माधोपुर  
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सवाई  
माधोपुर

नम्बर मुकदमा 95 सन् 2025

दावा बाबत बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

वादी की ओर से श्री राधेश्याम वैष्णव एडो और प्रतिवादी गण की ओर से एक पक्षीय

की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख ..... को श्री गौरव कुमार मित्तल (आर.ए.एस) को सम्मक्ष निपटारों के लिए पेश होने पर आदेश किया गया जाता है और अन्तिम डिकी दी जाती है कि तहसीलदार सवाई माधोपुर निम्नानुसार आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम धमूण कली के खातेदार कमशः:-

1. अनूप श्री वास्तव पुत्र चांद बिहारी श्री वास्तव जाति कायस्थ जे 701/702 गोल्डन डोम्स सोसायटी जगतपुरा जयपुर खातेदार

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/1	0.52 हैक्ठ	बा.2
कुल किता 1	0.52 हैक्ठ	

2. गडूल पुत्र श्योनारायण जाति गुर्जर साठदेह

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
32/2	0.27 हैक्ठ	बा.2
कुल किता 1	0.27 हैक्ठ	

का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जावे। तकास्मा स्किम में प्राप्त नक्शा शीट आदेश का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना - अपना वहन करें।

इस बाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से बसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 07/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई

उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	शाक्ति पद के लिए स्टाम्प	00.00	
शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	02	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	0.00	
प्रदेशाक के लिए स्टाम्प रु० २०	00	00	प्लीडर की फीस	0.00	
प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	0.00	
साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	0.00	
कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	0.00	
आदेशिका की तामील	03	00			
जोड	07.00	00	जोड	00.00	